भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 33

बुधवार, 07 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशी निवेश का आकर्षित किया जाना

33. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्रीमती पूनम महाजन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी कंपनियों का निवेश आकर्षित करने और भारत में व्यापारिक इकाइयां स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक प्रयास किए गए हैं;
(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं और किन-किन क्षेत्रों में उक्त प्रयास किए गए हैं;
(ग) क्या सरकार वर्तमान में इस दिशा में कदम उठा रही है अथवा कदम उठाने पर विचार कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो देश में विदेशी निवेश आकर्षित करने के संभावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख): सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए निवेशक अनुकूल नीति बनाई है, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए खुले हैं। भारत में पिछले कुछ वर्षों में एफडीआई नीति को उदार और सरल बनाया गया है। भारत को अधिक आकर्षक स्थल बनाने के लिए, हाल के वर्षों में रक्षा, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा दूर संचार जैसे क्षेत्रों में एफडीआई नीति में सुधार किए गए हैं। इसके अलावा, व्यापार क्षेत्र में सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार (एसबीआरटी) में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है और मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार (एमबीआरटी) में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।

(ग) और (घ): सरकार सतत आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है तथा समय-समय पर इसमें परिवर्तन करती है ताकि भारत का आकर्षक और निवेशक अनुकूल स्थल बने रहना सुनिश्चित किया जा सके। इसका उद्देश्य नीतिगत अवरोधों को दूर करना है जो देश में निवेश अंतर्वाह में बाधा पहुंचा सकते हैं। शीर्ष उद्योग चैम्बरों, संघों, उद्योगों/समूहों के प्रतिनिधियों और अन्य संगठनों सहित हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के पश्चात, उनके विचार/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए नीति में परिवर्तन किए जाते हैं।

*****